

अनुसूची- I
स्वघोषणा (Under Taking)

मैं (आवेदक/निवेशक का नाम) पिता श्री.....
(पिता का नाम) निवासी..... (आवासीय पता) इसके तहत पूरी तरह से पुष्टि
और घोषित करता/वचन देता हूँ।

1. यह कि मैं मेसर्स..... (आवेदक/निवेशक का नाम) भागीदार हूँ, जिसका
पंजीकरण सं०..... और पंजीकृत कार्यालय
(आवेदक/निवेशक का पता)।
2. मैं इसके तहत आवेदन करने और मैं स्वयं प्राधिकृत/प्रबंधन के संकल्प सं०..... दिनांक—
.....के तहत विधिवत अधिकृत हूँ और सभी आवश्यक दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति सहित
देयता की ओर से इस उपक्रम(स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी
(LLP), कम्पनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहित) का नाम..... और
सर्वेक्षण/प्लॉट नम्बर..... ग्राम—....., तहसील....., जिला—
....., राज्य..... पिन कोड.....(मुख्य सुविधा का स्थान) ..
..... के लिए (परियोजना द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ)
पर परियोजना की स्थापना से संबंधित तथ्यों से पूरी तरह अवगत हूँ और बिहार गुड़ उद्योग प्रोत्साहन
कार्यक्रम के लिए आवेदन किया जा रहा है।
3. यह कि प्रस्तावित गुड़ इकाई कार्यरत चीनी मिल के 15 कि०मी० की परिधि से बाहर अवस्थित है।
4. बिहार सरकार की उपरोक्त योजना की अवधि और शर्तें जिसके तहत आवेदक/निवेशक द्वारा आवेदन
किया गया है, मेरे द्वारा ठीक से पढ़ा और समझा गया है और मैं पुष्टि करता हूँ कि परियोजना/प्रस्ताव
अनुमोदन के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन स्वघोषणा पत्र और प्रावधान योजना के दिशा-निर्देशों
में निहित है।
5. परियोजना/प्रस्ताव द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियाँ बिहार सरकार की उपरोक्त योजना
के अन्तर्गत आती हैं और वर्तमान में या निकट भविष्य में आवेदन में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा
अन्य किसी भी गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने के लिए योजना का कोई भी हिस्सा तैयार नहीं
किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि(आवेदक/निवेशक का नाम) उसी
परियोजना, घटक, उद्देश्य या गतिविधि के लिए भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या
बिहार सरकार या उनकी एजेंसियों/संगठनों से पूंजीगत अनुदान के लिए प्राप्त या आवेदन नहीं
किया गया है।
7. इस संबंध में किसी भी तथ्य को छिपाने के मामले में गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, सरकार के पास
किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन/परियोजना को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार होगा।
8. मैं अनुदान की कम स्वीकार्यता या अनुदान में भविष्य में कमी या परियोजना की लागत में किसी भी
वृद्धि के कारण वित्त के साधनों में किसी कमी को पूरा करूंगा।
9. मैं अनुदान-सहायता के अनुमोदन प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, जिसके लिए उसे मंजूरी
दी गई है, के अलावा अन्य कार्यों के लिए पूरी तरह से या सरकारी अनुदान से ऋणग्रस्त या
अतिक्रमण या उन संपत्तियों का उपयोग नहीं करूंगा।
10. प्रोत्साहन का लाभ लेने के प्रयोजन से झूठी घोषणा के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मैं न्यूनतम
निवेश करने में असफल होता हूँ या यदि प्रोत्साहन का लाभ पात्रता के बिना लिया गया या इस
कार्यक्रम के शर्तों का उल्लंघन हुआ हो तो अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसे लाभ लेने की तिथि से वसूली का भागी होऊंगा।

स्थान :

आवेदक/निवेशक का हस्ताक्षर

नोट :- इसे हस्ताक्षर के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा